दूर शिक्षा निदेशालय

म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा

एम.बी.ए. (सत्र 2023-25)

परियोजना कार्य सूचना

दिनांक 04/02/2026

सत्र 2023-25 एवं सत्र 2024-26 के एम.बी.ए. में पंजीकृत छात्रों को सूचित किया जाता है कि परियोजना कार्य को निम्नांकित निर्धारित तिथियों के अनुसार संपन्न करा कर निदेशालय में उपलब्ध कराएँ।

चरण-1	पर्यवेक्षक अनुमोदित करने हेतु पर्यवेक्षक आत्मवृत्त एवं आवेदन विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराने की अतिम तिथि	02 मार्च, 2026
चरण-1	पर्यवेक्षक स्वीकृति की सूचना	15 मार्च, 2026
चरण-2	परियोजना कार्य हेतु **विषय रूपरेखा (Synopsis)** विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि	15 अप्रैल, 2026
चरण-2	अनुमोदित/ स्वीकृत **विषय रूपरेखा (Synopsis)** के साथ छात्रों की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित करने की अंतिम तिथि	25 अप्रैल, 2026
चरण-3	परियोजना कार्य संबंधित छात्रों की छात्रों द्वारा 2 प्रतियों में विश्वविद्यालय में जमा करने की अंतिम	25 मई, 2026

इस संबंध में **परियोजना कार्य दिशा निर्देश (Project Guidelines)** विश्वविद्यालय कि वेबसाइट www.hindivishwa.org /distance पर उपलब्ध है।

परियोजना कार्य पूर्ण करने की प्रक्रिया 3 चरणों में पूर्ण की जानी है।

अन्य सूचना :

1. पर्यवेक्षक का चयन छात्रों द्वारा किया जायेगा तथा संबंधित पर्यवेक्षक अपनी सहमती छात्रों के अनुरोध पत्र पर लिखकर एवं आत्मवृत्त (Bio-data) की कॉपी देते हुए छात्रों द्वारा निदेशालय में प्रस्तुत करेंगे।
2. पर्यवेक्षक अनुमोदन हेतु छात्र द्वारा प्रारूप पत्रक में संबंधित पर्यवेक्षक की शैक्षणिक अर्हता प्रमाण पत्र एवं कर्मचारी पहचान पत्र की छायाप्रति के साथ संबंधित पर्यवेक्षक द्वारा स्वीकृत तथा अनुशंसा करने पर छात्र का अनुरोध पत्र स्वीकृत किया जायेगा।

3. पिछले वर्ष जिन पर्यवेक्षकों के नाम विश्वविद्यालय की वेवसाईट पर उपलब्ध कराये गये थे वे पर्यवेक्षक पिछले सत्र के लिए संबंधित छात्र के लिए ही अनुमोदित है। पिछले सत्र के उन छात्रों के पर्यवेक्षक इस सत्र के छात्रों के लिए सीधे तौर पर स्वीकृत नहीं किये जायेंगे। जिन छात्रों को पिछले वर्ष के अनुमोदित पर्यवेक्षक स्वयं के लिए चयन करना है ऐसे सभी छात्रों द्वारा उन पर्यवेक्षकों का आत्मवृत्त एवं शैक्षणिक अर्हता प्रमाणपत्र तथा कर्मचारी पहचान (Employee ID) पत्र की छात्राप्रति के साथ अनुरोध पत्र प्रस्तुत करने पर निदेशालय उन पर्यवेक्षकों के अनुमोदन हेतु विचार करेगा।

4. यदि किसी विद्यार्थी को पर्यवेक्षक की सहमती प्राप्त नहीं होती और उसे पर्यवेक्षक चयन में समस्या आती है, तो उसे अपने साथी/ मित्र छात्रों से संपर्क कर उनके पर्यवेक्षक की सहमती प्राप्त कर आत्मवृत्त एवं शैक्षणिक अर्हता प्रमाणपत्र तथा कर्मचारी पहचान (Employee ID) पत्र की छात्राप्रति के साथ अनुरोध पत्र प्रस्तुत करने पर निदेशालय उन पर्यवेक्षकों के अनुमोदन हेतु विचार करेगा।

5. परियोजना कार्य से संबंधित सभी दस्तावेज सीधे मुख्यालय, वर्धा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

6. परियोजना का मूल्यांकन करने हेतु मूल्यांकनकर्ता को अपेक्षित समय देना आवश्यक है। मूल्यांकन उपरांत ही परिणाम घोषित किया जाएगा।

7. विश्वविद्यालय द्वारा परियोजनाओं के लिए पर्यवेक्षक उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।

8. परियोजना कार्य-दिशा निर्देश (Project Guidelines) जो विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध उसका अनुपालन कर सभी प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

(डॉ. रविन्द्र तु. बोकर)

पाठ्यक्रम संयोजक (एमबीए)

म. गां. अं. हिं. वि., वर्धा

नोट :- उक्त तिथियाँ अपरिवर्तनीय है। निर्धारित तिथि तक विश्वविद्यालय में उपलब्ध न कराने की स्थिति में संबंधित परियोजनाओं को इस वर्ष के लिए स्वीकृत नहीं किया जाएगा । इस संबंध में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा। आवश्यकता के अनुसार तिथियों को परिवर्तित करने का अधिकार दूर शिक्षा निदेशालय / विश्वविद्यालय अपने पास सुरक्षित रखता है।